

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, (पीठाधीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाल ड्रफ्ट्स" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी द्वारा जारी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान में राजस्थान अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार में ग्राम तहसील व जिला की जमाबन्दी में खाला संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं.	ग्राम	खाला संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	बोरा			29/1-1956
		14		29/1-1956

पीठाधीन अधिकारी लोक अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, दिनांक:- 0.6.17

कमांक:- 184

प्रतिनिधि:-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री
3. रक्षित पत्रावली।

को संलग्न है

8/6/17
 श्री
 श्री

पीठाधीन अधिकारी लोक अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,